IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

## कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ


आफिस कॉम्पलैक्स, सेक्टर–9, शास्त्री नगर, मेरठ

**Email : upavpse2@gmail.com**


भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

पत्रांक: 101-12/33 दिनांक: 05/07/2024

## ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में अर्ह श्रेणी/ग्रुप में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से, एकल–बिड पद्धति पर ई–निविदा https://etender.up.nic.in के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंन्त्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के ऑफिस कॉम्पलैक्स, सैक्टर–9, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित कार्यालय मे गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ई–प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड/खोली जाएगी।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (रू0 लाख में) | धरोहर धनराशि (रू0 लाख में) | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रू0 में) | ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी | खण्ड का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अशोक विहार योजना खतौली में नालियों, सडकों, पुलियों एवं पार्को के मरम्मत का कार्य। | 5.31 | 0.11 | 03 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–चतुर्थ में पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 2 | जागृति विहार योजना सं0–6, मेरठ के सेक्टर–3 में स्थित सामुदायिक केन्द्र के मरम्मत का कार्य। | 6.32 | 0.13 | 03 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–चतुर्थ में पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 3 | जागृति विहार योजना सं0–6, मेरठ के सेक्टर–6 में स्थित सामुदायिक केन्द्र के मरम्मत का कार्य। | 3.14 | 0.07 | 03 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–पंचम में पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 4 | शाकुन्तलम योजना मुजपफरनगर में स्थित सामुदायिक केन्द्र के मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य। | 2.10 | 0.05 | 08 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–पंचम में पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 5 | शाकुन्तलम योजना मुजपफरनगर में सडक, आन्तरिक जलापूर्ति, नालियों, आन्तरिक सीवर लाईन एवं पार्को के मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य। | 4.00 | 0.08 | 08 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–पंचम में पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 6 | जागृति विहार (विस्तार) योजना स0–11, मेरठ के सेक्टर–4 में निर्मित एफ–32 प्रकार के फ्लैटों के मरम्मत का कार्य। | 7.63 | 0.16 | 03 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–चतुर्थ मे पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 7 | जागृति विहार (विस्तार) योजना स0–11, मेरठ के सेक्टर–3 में निर्मित एफ–127 प्रकार के फ्लैटों के मरम्मत का कार्य। | 5.30 | 0.11 | 03 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–चतुर्थ में पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–03 |
| 8 | जागृति विहार विस्तार, योजना सख्या–11, मेरठ के सेक्टर–3ए व 4 म निर्मित एफ–57 एव एफ–64 प्रकार के फ्लैट्स के अनुरक्षण का कार्य। | 9.95 | 0.20 | 02 माह | 500.00 + जी0एस0टी0 18% | ग्रुप–ए, श्रेणी–चतुर्थ मे पंजीकृत | निर्माण खण्ड मेरठ–02 |

**नियम व शर्तें :–**

1. निविदा से संबंधित धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में हस्तान्तरित होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा।

| खण्ड का नाम | बैंक का नाम | खाता संख्या | आई0एफ0एस0सी0 कोड |
|---|---|---|---|
| अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड मेरठ–03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,मेरठ | इण्डियन ओवरसीज बैंक, बी–7,शास्त्रीनगर मेरठ। | 15320100001953 | IOBA0001532 |
| अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ | यूनियन बैंक आफ इन्डिया, गढ रोड, शास्त्रीनगर, मेरठ | 499102010037063 | UBIN0549665 |

3. **महत्वपूर्ण तिथियाँ :–**

| क्र0 सं0 | विवरण | दिनांक | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | ई–निविदा प्रकाशन तिथि। | 06.07.2024 | – |
| 2 | निविदा डाउनलोड / अपलोड / निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि। | 09.07.2024 | अपरान्ह 5:00 बजे से |
| 3 | निविदा डाउनलोड / अपलोड / निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि। | 18.07.2024 | अपरान्ह 5:00 बजे तक |
| 4 | वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि | 19.07.2024 | पूर्वान्ह 11.00 बजे |

4. फर्म / ठेकेदार का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अलग से देय होगी।
5. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ0 प्र0 सरकार / भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों / परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करनें के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
6. निविदादाता फर्म का आयकर विभाग / श्रम विभाग इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उसके सभी देयकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस टैक्स एवं अन्य कोई कर जो राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
7. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध में पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी एफ0डी0आर / सी0डी0आर0 के रूप में क्रम सं0–1 के कार्य हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के पक्ष में बनाकर जमा करनी होगी।
8. निविदा के साथ दरों के 03 माह की वैधता हेतु रु0 100 / – के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0–1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर एवं हस्ताक्षर कर शपथ–पत्र देना होगा।
9. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के क्रम में निविदा मूल्य के परिपेक्ष्य व अन्य धनराशि जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित है, के बराबर मूल्य के स्टाम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 100 / – के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र देना होगा।
10. किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लेखित तिथियों में अवकाश हो जाने पर निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
11. सामग्री की आपूर्ति प्रचलित आई0एस0 कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार करनी होगी तथा आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग / उ0प्र0 जल निगम एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के विशिष्टियो के अनुसार ही कराये जाय
12. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि संबंधित ठेकेदार / व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि नियमानुसार जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेंजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
16. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् 01 सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
17. निविदादाता को प्रत्येक ई–निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रपत्र (टी–4, टी–5, टी–6) की स्कैन की प्रति ऑनलाईन जमा करना

18. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धरोहर धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप से देय होगी।

19. जी0पी0डब्ल्यू0, फार्म–9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।

20. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2/आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरूद्ध डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परर्फोमेन्स गारन्टी, एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/ एन0एस0सी0 जो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी,

21. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके संबंध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

22. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

23. कार्य की अवधि में किसी भी सड़क/सार्वजनिक स्थल पर ठेकेदार द्वारा एकत्र की गयी निर्माण सामग्री अथवा अन्य कारणों से पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत उत्पन्न व्यवधान से किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही हेतु ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

24. निर्माण कार्य के सम्पादन के समय कार्यस्थल के आस–पास के भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा में किसी भी प्रकार क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का शपथ–पत्र रु0 100/– के स्टॉप पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

25. निर्माण कार्य हेतु बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न कराना होगा तथा रु0 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बार चार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ–पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

26. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य न होगा।

27. किसी भी प्रकार की प्रपत्रों की हार्ड कॉपी स्वीकार न होगी। निविदादाता के डाउनलोड प्रपत्र अपठनीय होने पर मूल प्रति के साथ छायाप्रति वांछित होगी।

28. समस्त निर्माण कार्य संबंधित विभाग को हस्तगत कराने का उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार/फर्म का होगा।

29. स्थानीय स्तर पर प्रशासन अथवा विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्माण सामग्री की जाँच करे जाने पर, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बाहरी एजेन्सी से निर्माण सामाग्री परीक्षण कराये जाने पर होने वाला व्यय ठेकेदार/फर्म द्वारा व्यय किया जाएगा।

30. शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सैण्ड, स्टोन ग्रिट/बैलास्ट आदि पर दी गयी रायल्टी के भुगतानों में चालान/रवन्ना आदेश की प्रति बीजक के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा नियमानुसार बीजक से रायल्टी की कटौती की जाएगी।

31. ई–टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे।

32. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेगी।

33. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य हेतु निर्माण स्थल पर लायी गयी सामाग्रियों की आपूर्ति व ई0एम0एम0–11 प्रस्तुत करनी होगी तथा रायल्टी के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेश लागू होगें।

34. शासनादेश सं0–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15.10.15 के अनुपालन में यदि ठेकेदार/फर्म नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करती है तो निर्धारित रायल्टी का पांच गुना ठेकेदार के देयक से वसूली की जायेगी।

35. निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्री परिषद द्वारा एप्रूव्ड सामग्री लिस्ट के अनुसार ही होगी।

1.

(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृसं0 1608 /उपरोक्तानुसार/ तद् दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता महोदय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ–01/02/03/04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता